

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा

56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 15.03.2015 को सम्पन्न (प्रारम्भिक) परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों, से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु प्रपत्र आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है।

मुख्य (लिखित) परीक्षा के आयोजन की अवधि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

लिखित परीक्षा चार विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिन्दी - 100 अंक - तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 200 अंकों के, होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं दो विषयों को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय के दो पत्र होंगे, जिसके लिए प्रति पत्र 200 अंक निर्धारित हैं।

(क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोड:-

1. सामान्य हिन्दी (01)
2. सामान्य अध्ययन (02)

(ख) ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोड:-

क्रम संख्या	विषय	विषय कोड
1.	कृषि विज्ञान	04
2.	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	05
3.	मानव विज्ञान	06
4.	वनस्पति विज्ञान	07
5.	रसायन विज्ञान	08
6.	सिविल इंजीनियरिंग	09
7.	वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	10
8.	अर्थशास्त्र	11
9.	विद्युत इंजीनियरिंग	12
10.	भूगोल	13
11.	भू-विज्ञान	14
12.	इतिहास	15
13.	श्रम एवं समाज कल्याण	16
14.	विधि	17
15.	प्रबन्ध	18
16.	गणित	19
17.	यांत्रिक इंजीनियरिंग	20
18.	दर्शन शास्त्र	21
19.	भौतिकी	22
20.	राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	23
21.	मनोविज्ञान	24
22.	लोक प्रशासन	25
23.	समाज शास्त्र	26
24.	सांख्यिकी	27
25.	प्राणी विज्ञान	28
26.	हिन्दी भाषा और साहित्य	29
27.	अंग्रेजी भाषा और साहित्य	30
28.	उर्दू भाषा और साहित्य	31
29.	बंगला भाषा और साहित्य	32
30.	संस्कृत भाषा और साहित्य	33
31.	फारसी भाषा और साहित्य	34
32.	अरबी भाषा और साहित्य	35
33.	पाली भाषा और साहित्य	36
34.	मैथिली भाषा और साहित्य	37

टिप्पणी :-

1. उम्मीदवार निम्नलिखित वैकल्पिक विषय एक साथ नहीं रख सकते हैं:-
(क) राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध (23) तथा लोक प्रशासन (25)
(ख) वाणिज्यिक शास्त्र एवं लेखा विधि (10) तथा प्रबन्ध (18)
(ग) मानव विज्ञान (06) तथा समाज शास्त्र (26)
(घ) गणित (19) तथा सांख्यिकी (27)
(ङ) कृषि विज्ञान (04) तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान (05)
(च) प्रबन्ध (18) तथा लोक प्रशासन (25)
(छ) इंजीनियरिंग विषयों जैसे - सिविल इंजीनियरिंग (09), विद्युत इंजीनियरिंग (12) एवं यांत्रिक इंजीनियरिंग (20) में एक से अधिक विषय नहीं।
2. भाषा विषयो यथा - हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली एवं मैथिली में से मात्र किसी एक भाषा को रख सकते हैं।
3. प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा।
4. सभी भाषाओं के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में, से किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं, किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

5. प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।

सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 है, जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी। शेष तीन विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौत्तीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवम् विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक 2374 दिनांक 16.07.2007 एवम् पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा विहित है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

6. रिक्तियाँ : कुल रिक्तियों की संख्या 737 है जिसका विस्तृत विवरण सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं उसके बाद प्रकाशित शुद्धि पत्र द्वारा दिया गया है।

7. मेधा सूची : लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 150 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची बनायी जायेगी, और अंतिम परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

उपरोक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपरोक्त सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायेगा।

मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश

1. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। इसके लिए स्थायी निवास पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-

- (a) जाति प्रमाण पत्र
- (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

- (a) जाति प्रमाण पत्र,
- (b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- (c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मन्थन होगा। विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं नन-क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।

(iii) विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता (विकलांगता) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको विकलांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक 16144 दिनांक 28.11.12 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

2. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 200/- (दो सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 250/- (दो सौ पचास) रुपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों सहित अन्य सभी राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 750/- (सात सौ पचास) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 800/- (आठ सौ) रुपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। अभ्यर्थी विशेष का चालान ऑनलाइन आवेदन में लॉगइन (Log in) के बाद उपलब्ध होगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करेंगे एवं शुल्क जमा करेंगे। उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश:


(i) दिनांक 12.01.2016 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। ऑनलाइन बैंक चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 08.02.2016 होगी। बैंक में

चालान जमा करने की अंतिम तिथि 15.02.2016 को बैंकिंग आवर तक होगी।
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 23.02.2016 होगी।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा आवेदन पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करेंगे। आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन से भरे गए A4 Size के पेपर पर आवेदन पत्र को प्रिन्ट कर सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं बैंक चालान की प्रति संलग्न कर स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से इस प्रकार भेजेंगे कि वह आयोग कार्यालय में 15.03.2016 को संख्या 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सभी अनुलग्नक के साथ निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

4. लिफाफा एवं प्रमाण पत्र:

- (i) विहित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित (स्वअभिप्रमाणित) हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगे:-
- 1) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए);
 - 2) स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र;
 - 3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र;
 - 4) निशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्पद द्वारा निर्गत निशक्तता प्रमाण पत्र;
 - 4) बैंक में जमा चालान की मूल BPSC प्रति।
- (ii) जिस लिफाफा में आवेदन पत्र भेजेंगे, उस लिफाफा के ऊपर पता पत्रों (Address Slip) प्रेषक का पत्रों (Slip) चिपका कर सभी अनुलग्नकों के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे।


28/12/15
संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना